

12/8/24

—:आदेश:—

प्रार्थना-पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी
प्रकरण संख्या 46/2005
अनवान सरिता चौधरी आदि बनाम लाडो देवी आदि

पत्रावली आज पेश हुई प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थी सं. 1 ता 3 व 7, 8 की पूर्व में वहस सुनी जा चुकी है। वहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहराई से अवलोकन किया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा नजीरें पेश की गई एवं अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त अनवान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए रेस्टोर किया जावे व पुनः नम्बर पर लिया जाकर न्यायहित में आगामी कार्यवाही की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 3 व 7 ने अपनी मौखिक वहस में कथन किया कि प्रार्थी 2005 में नावालिग थे आज वालिग हैं नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें और निवेदन किया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र मय हर्जा के खारिज फरमाया जावे। वहस उभय पक्ष पर भलीभाति मनन किया गया।

पत्रावली व पेशा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रार्थी राहुल द्वारा पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने का निवेदन किया है एवं प्रार्थीगण वर्तमान में वालिग हो चुके हैं तो जरिये माता पूर्व में खारिज प्रार्थना पत्र को रेस्टोर करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रथम दृष्टया पत्रावली अवलोकन में पाया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज दिनांक 23.03.2015 की प्रमाणित प्रति व वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा फार्म संख्या 3 के साथ फर्द अहमान आदेश 23.03.2015 प्रार्थना पत्र 212 आरटीए की चित्रप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो हाजिर नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया अतः उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सीपीसी के तहत दोनो पक्ष हाजिर नहीं होने पर रेस्टोर हेतु लगाया जाना था अतः प्रार्थना पत्र बिना नियम एवं बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया गया है काविल खारिज है प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 9 नियम 9 सीपीसी खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसला होकर नम्बर से फम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफतर की जाती है। यह आदेश आज दिनांक 12/8/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक क्लर्क एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

